न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 25/2019

[illegible] पुत्र [illegible] जाति नायक निवासी वार्ड नं. 1 सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू जरिये मुख्त्यार धर्मपाल पुत्र बजरंगलाल जाति मेघवाल निवासी कुम्हारों का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज.)

— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 2277 मौजा कस्बा सूरजगढ जो दिनांक 15.04.2019 को न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा मालीराम पुत्र मातादीन के हक में तस्दीक किया गया है।

——

उपस्थित :

1. श्री [illegible] सुनियां, एडवोकेट — अपीलांट की ओर से।
2. श्री [illegible] कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक—रेस्पोडेन्ट की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 25.01.2021**

[illegible] अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 15.04.2019 नामान्तरकरण संख्या 2277 बाके ग्राम सूरजगढ के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार से है कि मौजा कस्बा सूरजगढ की सरहद में लौहारू रोड़ पर अपीलान्ट की भूमि ख0न0 नं. 737 रकबा 0.49 है0, ख0न0 1435/747 रकबा 0.2200 है0 [illegible] प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकार की भूमि है तथा उक्त भूमि अपीलान्ट की कब्जे [illegible] की भूमि है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी/अपीलान्ट ही काबिज है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट स्थाई रुप से काबिज आबाद है तथा उक्त भूमिका विवाद माननीय राजस्व अपील [illegible] अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 10.04.2019 को विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण संख्या 2277 [illegible] को सुने बिना विधि विरूद्ध तरीके [illegible] के अधिकारों के विपरीत है उक्त नामान्तर[illegible] नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो [illegible] की पालना किये बिना त[illegible] तहसीलदार सूरजगढ ने [illegible] से दिनांक 10.04.2019 को उक्त वर्णित भू[illegible] [illegible] की जांच किये बिना [illegible] पर स्वीकार कर द[illegible] दिया जिससे व्यथि[illegible] [illegible] नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट ने गलत आधार पर स्वीकार कर [illegible] :— अदालत मात[illegible] [illegible] अपीलान्ट यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश कर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] सूरजगढ का नामान्तकरण आदेश दिनांक 10/4/2019 खिलाफ पत्रावली कानून [illegible] है। अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ का नामान्तरण संख्या 2277 दिनांक 10.04. [illegible] माईन्ड अप्लाई किये तस्दीक किया है। अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ ने [illegible] 10.04.2019 को उक्त नामान्तरण नियम विरूद्ध दर्ज किया है। नामान्तरण संख्या 2277 [illegible] न्याय के सिद्धान्त के विपरित अपीलान्ट को सुने बिना उनकी गैर मौजूदगी में दर्ज [illegible] है। अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ ने उक्त नामान्तरण संख्या 2277 में वर्णित [illegible] के कब्जे काश्त की जांच किये बिना नामान्तरण संख्या 2277 दर्ज किया है। अदालत [illegible] तहसीलदार ने उक्त नामान्तरण संख्या 2277 विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2018 के [illegible] दर्ज किया है जबकि अदालत ने उक्त वर्णित विक्रय पत्र की भूमि व विक्रय पत्र की [illegible] किसी प्रकार की जांच नही की क्योकि दिनांक 23.07.2018 का तथाकथित विक्रय पत्र [illegible] गीता देवी ने मालीराम के हक में तस्दीक किया है उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के [illegible] प्रारम्भ से ही शून्य व निस्प्रभावी है क्योकि गीता देवी के पति रामनिवास ने अपने [illegible] में ही अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया था तथा उसके पास कोई [illegible] नही रही परन्तु रिकार्ड में गीता देवी के नाम गलत रेवेन्यू रिकॉर्ड चल रहा था तथा [illegible] रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2018 तस्दीक हुआ है जो विधि [illegible] है। विवादित भूमि ख0न0 737 व 747 पर विचाराधीन प्रकरण जो कि न्यायालय मे [illegible] है की जानकारी रेस्पोडेन्ट को भली – भांति था। उक्त प्रकरण की जानकारी होने [illegible] भी अदालत मातहत तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 2277 दिनांक [illegible] तस्दीक किया है। उक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 2277 की जानकारी [illegible] को पहले नही थी तथा गलत नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को [illegible] .04.2019 को हुई तथा जानकारी होने पर दिनांक 18.04.2019 को अपीलान्ट ने [illegible] नामान्तरकरण की नकल के लिए आवेदन किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक [illegible] को मिली तथा इस प्रकार नकल मिलने के दिनांक से अपीलान्ट की अपील अन्दर [illegible] है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मंजूर की [illegible] न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा दिनांक 10.04.1019 को नामान्तरकरण संख्या [illegible] रेस्पोडेन्ट ने मालीराम के हक मे भरा है को अपास्त किये जान का आदेश फरमाया [illegible]

उभय पक्ष की बहस सुनीगई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान [illegible] की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि अपीलान्ट की कब्जे [illegible] की भूमि है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी/अपीलान्ट ही काबिज है तथा उक्त भूमि पर [illegible] रुप से काबिज आबाद है तथा उक्त भूमिका विवाद माननीय राजस्व अपील [illegible] के न्यायालय में विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 10.04.2019 को विधि [illegible] तरीके से नामान्तरण संख्या 2277 अपीलान्ट को बिना सुने उसकी गैर मौजूदगी मे [illegible] तरीके से तस्दीक किया है। [illegible] तहसीलदार सूरजगढ ने वर्णित भूमि [illegible] काश्त की जांच भी नही की [illegible] पति रामनिवास ने अपने जीवनकाल में ही [illegible] हिस्से की भूमि [illegible] उसके पास कोई भूमि शेष नही [illegible] रिकार्ड में गीता देवी के नाम [illegible] रेवेन्य रिकॉर्ड चल रहा था तथा इस गलत [illegible] के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक [illegible]07.2018 तस्दीक हुआ है जो विधि विरूद्ध है

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि ख0न0 737 व 747 पर विचाराधीन प्रकरण जो कि न्यायालय मे विचाराधीन है की जानकारी रेस्पोडेन्ट को भली–भांति थी तथा उक्त प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी अदालत मातहत तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 2277 दिनांक 10.04.2019 तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व है ।अतः अपील अपीलान्ट मंजूर की जाकर न्यायालय तहसीलदार [illegible] द्वारा दिनांक 10.04.1019 को नामान्तरकरण संख्या 2277 जो रेस्पोडेन्ट ने मालीराम के हक मे भरा है को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का खण्डन किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन है को निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान की बहस मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2277 पर पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 विक्रय पत्र की पालना में दर्ज किया गया है। उक्त विक्रय पत्र गीता देवी पत्नी रामनिवास, नितम पुत्री रामनिवास, प्रियंका पुत्री रामनिवास तथा विरेन्द्र पुत्र रामनिवास जाति मेघवाल निवासी ओजटू द्वारा मालीराम पुत्र [illegible] जाति नायक निवासी सूरजगढ़ के पक्ष में दिनांक 23.07.2018 को तस्दीक करवाया था। उक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाते समय उक्त विक्रेतागण विवादित भूमि 737, 1435/747 के खातेदार थे, जिन्हे अपनी खातेदारी की भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अपीलान्ट का तर्क यह है कि उक्त गीता देवी के पति स्व. रामनिवास ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण भूमि का बेचान अपीलान्ट के हक में कर दिया तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। परन्तु अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उसके तर्को को सही माना जा सकें। अदालत मातहत ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को मय रिकार्ड के प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक [illegible].01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:10 IST
Reason: SelfAttested

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं